न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/45/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. पुखराज पिता गेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदीयाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सा0 चितौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 17.04.2026

–:निर्णय:–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा गोदियाना में स्थित है जिसमें से आराजी नं. 128 मेवाड़ सेटलमेन्ट के पिता समय से वादी के पिता व उसके बुजुर्गो के नाम से चली आ रही है एवं हाल के सेटलमेन्ट में भी आराजी नं. 128 वादी के नाम ही किश्तवार ग्राम गोदियाना में दर्ज है परन्तु बाद में राजस्व रेकार्ड में यह भूमि बिलानाम दर्ज हो गई।

यह कि आराजी नं. 128 के हाल नम्बर 691 बने है जो बिलानाम सरकार है । परन्तु आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है ।

यह कि तहसीलदार साहब कपासन विपक्षी द्वारा वादी को खसरा सं 691 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म बीड़ पड़त 4 पर नाजायज कब्जे का नोटिस मिला जिससे जानकारी हुई कि यह जमीन बिलानाम सरकार चली आ रही है और पूर्व राजस्व रेकार्ड में यह जमीन बिलानाम दर्ज हो गई । जिसकी जानकारी वादी को नोटिस मिलने से ही हुई ।

यह कि उक्त आराजी नं. 691 जो कि पूर्व खसरा नं. 128 का हो भाग है जिस पर कब्जा मालिकाना सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादी का चला आ रहा है तथा बिलानाम करने की कोई सूचना वादी को विपक्षी तहसीलदार कपासन द्वारा नही दी गई अन्यथा वह उस समय ही यह बिन्दू उठा सकता था परन्तु सूचना न मिलने से एवं अब जानकारी होने से श्रीमान् के समक्ष यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि आराजी नं. 128 के नये नम्बर 691 एवं अन्य बने है जो इस प्रकार है 138, 128 और 141 है एवं 128 नम्बर 28 बीघा 12 बिस्वा का है जो वादी के पूर्व में खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है जिसका इन्द्राज दुरुस्ती कराया जाना आवश्यक है।

यह कि खसरा नं. 128 जो पूर्व में वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी वापस उसके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जाना आवश्यक होने से यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रतिवादी द्वारा जारी नोटिस से आराजी नं. 691 बिलानाम सरकार होने की जानकारी हुई एवं उसके बाद वादी ने लेण्ड रेकार्ड कार्यालय जिला चितौडगढ़ में जानकारी को एवं वादपत्र लगाया जिसकी नकले वादी को दिनांक 15/8/2008 को मिली जिससे यह वादपत्र नकले प्राप्त होने से एवं जानकारी प्राप्त होने से अन्दर मियाद पेश है वादकारण 15/8/2008 एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है। यह कि आराजी नम्बर 691 एवं 138, 128, 141 ग्राम गोदियाना की है जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है जिससे वादपत्र सुनने का श्रीमान् को अधिकार है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अतः प्रार्थना है कि आराजी नम्बर 691 बिलानाम को वादी के खाते में अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया आ0नं0 128 का वादी खातेदार काश्तकार है?

–जिम्मेवादी

2. आया उक्त आ0नं0 128 डूब में आने से वादी के पिता के नाम आ0नं0 1/2 रकबा 38.6 बीघा व आ0नं0 11/1 रकबा 26 बिघा भूमि दर्ज की गई कुल 64 बीघा 6 बिस्वा भूमि नाम पर अंकित की गई?

–जिम्मेप्रतिवादी

3. दादरसी

साक्ष्यवादी में पुखराज, भैरूलाल, बालु का शपथ पत्र प्रस्तुत तथा दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :–

आया आ0नं0 128 का वादी खातेदार काश्तकार है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। साबिक आराजी संख्या 128 वादी के पिता गेहरू के नाम दर्ज रेकार्ड थी। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवंत् 2016–17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में लगे इन्तकाल नं0 1762 से आराजी संख्या 141, 116, 125, 128, 122, 123, 133, 140 कुल किता 08 कुल रकबा 60 बीघा डूब में जाने के एवज में अन्य जमीन देकर वादी के पिता की जमीन बिलानाम करने का अंकन किया गया है। साथ ही उक्त के एवज में साबिक आराजी संख्या 1/2 रकबा 38 बीघा 6 बिस्वा व आराजी संख्या 11/1 रकबा 26 बीघा दर्ज की गई। साबिक आराजी संख्या 128 की एवज में वादी को भूमि प्राप्त हो गई जो प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्ध है, अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u> :–

आया उक्त आ0नं0 128 डूब में आने से वादी के पिता के नाम आ0नं0 1/2 रकबा 38.6 बीघा व आ0नं0 11/1 रकबा 26 बिघा भूमि दर्ज की गई कुल 64 बीघा 6 बिस्वा भूमि नाम पर अंकित की गई? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा प्रतिवादी का था। जो प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्ध है कि आराजी संख्या 141, 116, 125, 128, 122, 123, 133, 140 कुल किता 08 कुल रकबा 60 बीघा डूब में जाने के एवज में अन्य जमीन देकर वादी के पिता की जमीन बिलानाम करने का अंकन किया गया है। साथ ही उक्त के एवज में साबिक आराजी संख्या 1/2 रकबा 38 बीघा 6 बिस्वा व आराजी संख्या 11/1 रकबा 26 बीघा दर्ज की गई। साबिक आराजी संख्या 128 की एवज में वादी को भूमि प्राप्त हो गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

वादी द्वारा तनकी संख्या 1 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन